बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 6443662 पटना, दिनांक 27/10/2026

ग्रा0वि0-R-503/89/2022-Sec-14-RDD-RDD (Com No-181996)

श्री पंकज कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-282097) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया (गया) के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक-1901 दिनांक-23.06.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

उप विकास आयुक्त, गया द्वारा प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2203418 दिनांक-20.10.2023 द्वारा इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-6200792 दिनांक-08.09.2026 द्वारा 'चेतावनी' के साथ मुक्त किया गया है।

उक्त के आलोक में श्री पंकज कुमार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक-18.09.2026 को समर्पित किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि चूंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच के क्रम में एक आरोप को प्रमाणित पाया गया है तथा आरोपी पदाधिकारी को मात्र प्रशासनिक चेतावनी दी गई है, जो किसी प्रकार की विधिवत शास्ति (दंड) नहीं है, अतः श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) द्वारा अपने दंड की समीक्षा/संशोधन हेतु दायर किया गया अभ्यावेदन विचारणीय योग्य नहीं है ।

अतः प्रस्तुत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी पदाधिकारी श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) द्वारा दायर पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23/10/26

(विभाकर कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- 6443662 / पटना, दिनांक :- 27/10/2026

संचिका सं0- R-503/89/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181996)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 6443662 / पटना, दिनांक :- 27.10.2026

संचिका सं0- R-503/89/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181996)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/ प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया (गया)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 6443662 / पटना, दिनांक :- 27.10.2026

संचिका सं0- R-503/89/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181996)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/10/26

सरकार के अवर सचिव